न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 14/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/152

1. पृथ्वीराज पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी गांव कूपली, तहसील श्रीवियजनगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी गांव कूपली, तहसील श्रीवियजनगर
2. ग्राम पंचायत कूपली जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कूपली

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 13/05/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रकरण(प्र.सं. 136/22) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 19 दिनांक 05.05.2011 के विरूद्ध यह निगरानी मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की हैं। निगरानी से पूर्व प्रार्थना पत्रों पर निर्णय किया जाना आवश्यक हैं।
2. निगरानीकर्ता धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 के पट्टा का आवेदन कर निवेदन किया कि उसका एक आवासीय मकान बना हुआ है जिस पर उसका 50 वर्षो से कब्जा है जिस पर तत्कालीन अप्रार्थी सं. 2 ने पंचायतीराज नियमों के विरूद्ध दिनांक 05.05.2011 को एक बडे भू भाग 11000 वर्गफुट खाली प्लाट का पटटा जारी कर दिया जिसे प्रार्थी निलामी में आवंटन का हकदार है अप्रार्थी सं. 2 ने बिना सार्वजनिक सूचना/आपत्ति प्रकाशित किये बिना ही पट्टा जारी कर दिया हैं जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित हुये है, इसलिए प्रार्थी निगरानी पेश करने के हकदार हैं। निगरानीकर्ता द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी को पट्टा की जानकारी इन्टरलोकिंग सडक के निर्माण के समय उपजे विवाद के दौरान दिनांक 10.05.2022 को हुई। पट्टा की जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह निगरानी पेश कर दी है प्रार्थी ने जानबूझकर कर देरी नहीं की हैं। देरी माफ कर निगरानी का निर्णय मेरिट पर करने हेतु निवेदन किया।
3. अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्रों पर निगरानी के साथ बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की निगरानी एवं प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगरानीकर्ता अपनी बहस में प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया [illegible] अप्रार्थी के पक्ष में विधि विरूद्ध पटटा जारी किया हैं, उक्त भूमि निगरानी[illegible] निलामी में खरीदी जा सकती थी, अतः निगरानीकर्ता [illegible] निगरानी [illegible] से अन्दर मियाद हैं। पट्ट की जांच [illegible] अन्दर मियाद ग्रहण कर मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत अधि[illegible] निगरानीकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ने निवेदन किया [illegible] निगरानीकर्ता द्वारा 11 [illegible] अवधि के पश्चात यह निगरानी पेश की हैं तथा निगरानीकर्ता किस प्रकार हितबद्ध हैं इसका कोई ठोस कारण निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। निगरानीकर्ता को हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को भी माफ करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:24:03 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर अनूपगढ़

मियाद अधिनियम अस्वीकार करते हुए निगरानी इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर पुनरीक्षण कर सकती हैं। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने भवनों के नियमितिकरण का पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी उक्त निगरानीधीन पट्टा से किस प्रकार प्रभावित हितबद्ध पक्षकार हैं ऐसा कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। पट्टा दिनांक 03.01.2012 को ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 2 दिनांक 05.05.2011 की अनुपालना में जारी किया गया हैं। निगरानी दिनांक 14.12.2022 को पूर्ववर्ती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। निगरानी 11 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गयी हैं। निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें पट्टे की जानकारी दिनांक 10.05.2022 को हुई। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत के अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.05.2011 के प्रस्ताव सं. 2 एवं पट्टा आवेदन पत्रावली के अनुसार आवेदन पत्र पर निकाले गये आपत्ति नोटिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। निगरानीकर्ता इसी गांव के निवासी हैं। ऐसी स्थिति में यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता निगरानीकर्ता को 11 वर्षों तक उक्त पट्टा की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016(1) सिविल कोर्ट केसेस 165(राजस्थान) डीबी सिविल स्पेशल अपील(रिट) नं. 800/2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिस अनुसार "Condonation of delay- Day-to-Day delay not explained, Delay not Satisfactorily explained-Application rejected" उक्त प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

5. निगरानीकर्ता निगरानीधीन पट्टा/आदेश से किस प्रकार हितबद्ध हैं यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 11 वर्ष बाद निगरानी प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण/स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो जाने के कारण निगरानी पोषणीय नहीं होने से निगरानी निगरानीकर्ता इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/05/2024 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर I.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:24:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)